12.41 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED EXCHANGE OF COUNTERFEET DOLLARS FOR INDIAN CURRENCY BY FOREIGNER FROM A DELHI BANK.

श्री बजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

27 नवम्बर, 1978 को यूनियन बैंक की आसफली रोड शाखा में 500 अमरीकी डालर एक जर्मन महिला द्वारा भुनाया गया और भारतीय मुद्रा मे उक्त भुगतान किया गया। जब ये डालर बम्बई मुख्यालय मे भेजे गये, तो वहां जाली करार दिया गया और ऐसी रिपोर्ट के साथ पुन. आसफअली रोड शाखा को भेज दिया गया। उक्त जर्मन महिला ने दरियागंज दिल्ली का पता दिया था और वह बनारस से दिल्ली वाराणसी के एक व्यक्ति के साथ बैंक गई थी और उक्त व्यक्ति की जान-पहचान वहां के रिजनल मैनेजर से थी, जिसकी पहचान पर ही उक्त डालर का भुगतान कराया गया। यह आश्चर्य की बात है कि उस जर्मन महिला ने भुगतान कराने का कारण अपनी स्वदेश यात्रा बताया और यह भी पता चला कि वह उसी दिन रात को जहाज से जर्मनी वापस चली गई। जर्मनी मे भारतीय मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पडती। उस व्यक्ति की जान-पहचान शाखा के रिजनल मैनेजर से पुरानी है। उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि देश के अन्दर एक ऐसा गिरोह है, जो इस प्रकार के जाली डालर बनाता है और बैंक के अधिकारियों से मिल कर उनका भुगतान कराता है।

यह बहुत ही गम्भीर और सार्वजनिक महत्व का विषय है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पूरी घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये और इससे सम्बद्ध व्यक्तियों तथा बड़े गिरोह का पता लगाये और उनके विरुद्ध सख्त आवश्यक कार्यवाही करे। सारी स्थिति को साफ करने के लिए आवश्यक है कि वित्त मंत्री सदन में बयान दें।

(ii) HARRASSMENT OF CANTEEN WORKERS OF DEPARTMENT OF STATISTICS, HANS BHAVAN, NEW DELHI.

श्री राम दास सिंह (गिरडीह) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन योजना मंत्री का ध्यान नेशनल सैम्पल सरवे आर्गेनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली, मे व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर के गरीब कर्मचारियों को सताने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

नेशनल सैम्पल सरवे आर्गनाइजेशन के अन्तर्गत जो कैन्टीन है, उसमे काम करने वाले निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के एक वर्ग को 170 रुपए माहवार और दूसरे वर्ग को 239 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। पर्सोनेल डिपार्टमेंट के हैड ने अपने मेमो नम्बर 6/(2)/23/76–वेलफेयर, तारीख 7–1–77 के जरिए आदेश दिया कि उनकी तनख्वाह मे सुधार किया गया है और मिनिमम वेज के मुताबिक उनकी तनख्वाह मे बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन उस डिपार्टमैंट के अधिकारियों ने इतने दिनों से आज तक इस नियम के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी। अभी एक महीने पहले, जब उन कर्मचारियों को मालूम हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टर, पर्सोनेल को लिखा।